शुद्धि पत्र

संख्या :31/2017/364/छप्पन-2017-43/15

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2017

विषय :राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के अनुरक्षण कार्य हेतु एक Vertical Gyro, Part No. 46060-11 को एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 770/ना0उ0नि0/इंजी/ए-2-2016(पी), दिनांक 21-3-2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 19/2017/152/छप्पन-2017-43/2015, दिनांक 23-02-2017 एवं शासनादेश संख्या-25/2017/301/छप्पन-2017-43/2015, दिनांक 10-03-2017 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 23-02-2017 द्वारा राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर-वी0टी0-यू0पी0एल0 के पुर्जे Vertical Gyro, Part No. 46060-11 को एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय करने हेतु निर्माता कम्पनी से प्राप्त कोटेशन के आधार पर यू0एस0 डालर 52955.49 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 70.00 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) रूपये 37,06,880/- (रूपये सैंतीस लाख छः हजार आठ सौ अस्सी मात्र) होता है, के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-6 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 2015-16 अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार शासनादेश दिनांक 23-02-2017 के प्रस्तर-6 को संशोधित समझा जाय और प्रस्तर-6 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्थान पर 2016-17 पढा जाय। उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 संशोधित किया जाता है एवं शासनादेश की शेष शर्तें एवं तथ्य यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0 : 31/2017/364(1)/छप्पन-2017 -तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी0-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।